न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 74/2018 अपील

श्री भारत सिंह पिता प्रेमसिंह महाजन निवासी नन्दराय तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटडी जिला भीलवाडा

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार कोटडी प्रकरण सं. 110/2018 दिनांक 19.07.2018 अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू. राज. अधिनियम

उपस्थित –

1. श्री बी.एल. बापना अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 24.06.2019

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश तहसीलदार कोटडी प्रकरण सं0 110/2018 दिनांक 19.07.2018 के खिलाफ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का नंदराय की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम नंदराय की सरकारी भूमि आराजी सं. 4983 रकबा 2.00 बीघा किस्म चारागाह पर अपीलार्थी के अतिक्रमण कर लेने से धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की विधिवत तामील नहीं होने के बावजूद दिनांक 10.04.2018 की पेशी पर यह लिख दिया गया कि अतिक्रमी बावजूद तामील अनुपस्थित है, जबकि अपीलार्थी को कभी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी कोई नोटिस प्राप्त नही हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत तामील नहीं होने के बावजूद भी दिनांक 19.07.2018 को अपीलार्थी के विरूद्व एक तरफा निर्णय पारित करते हुए 3 माह के सिविल कारावास एवं 150/–रूपये शास्ति से दण्डित कर दिया, जो विधि विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर सिविल कारावास से दण्डित करने का जो आदेश दिया हैं, वह विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय हैं, क्योंकि पूर्व में कभी भी अपीलार्थी को बेदखल नही किया गया था। आराजी सं. 4983 के पास ही मुझ अपीलार्थी की भूमि स्थित हैं, जिससे उक्त भूमि के कुछ भाग पर मुझ अपीलार्थी का कब्जा हो गया था , किन्तु जानकारी में आते ही अपीलार्थी ने उक्त आराजी नं. 4983 से कब्जा छोड़ दिया हैं और वर्तमान में भी उस पर अपीलार्थी का कोई कब्जा नहीं हैं। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे और

अपीलार्थी के विरूद्व पारित 3 माह के सिविल कारावास की सजा को माफ किया जावे। अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील के समर्थन में विधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 2001 पेज नं. 475 पेश किया।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 31.07.2018 को पंजीबद्व की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत तामील नहीं होने के बावजूद भी दिनांक 19.07.2018 को अपीलार्थी के विरूद्व एक तरफा निर्णय पारित करते हुए 3 माह के सिविल कारावास एवं 150/–रूपये शास्ति से दण्डित कर दिया, जो विधि विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर सिविल कारावास से दण्डित करने का जो आदेश दिया हैं, वह विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय हैं। आराजी सं. 4983 के पास ही मुझ अपीलार्थी की भूमि स्थित हैं, जिससे उक्त भूमि के कुछ भाग पर मुझ अपीलार्थी का कब्जा हो गया था , किन्तु जानकारी में आते ही अपीलार्थी ने उक्त आराजी नं. 4983 से कब्जा छोड़ दिया हैं और वर्तमान में भी उस पर अपीलार्थी का कोई कब्जा नहीं हैं। निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे और अपीलार्थी के विरूद्व पारित 3 माह के सिविल कारावास की सजा को माफ किया जावे।

रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी के विरूद्व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। वादग्रस्त आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे चारागाह बिलानाम राजकीय भूमि दर्ज हैं। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत हैं। अपील अपीलार्थी खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया एवं अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट हैं कि पटवारी हल्का नन्दराय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्व ग्राम नन्दराय तहसील कोटडी की आराजी नं0 4983 रकबा 2.00 बीघा किस्म चारागाह भूमि पर संवत् 2073 में भी प्रकरण न्यायालय तहसीलदार कोटडी में दर्ज कराया गया एवं उक्त न्यायालय ने बेदखली के आदेश दिये। अपीलार्थी द्वारा पुनः अतिक्रमण कर लिये जाने से प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया और अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए आदेश पारित किया गया, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व में प्रकरण सं. 231/2017 निर्णय दिनांक 24.04.2017 में जिस आराजी पर अपीलार्थी को बेदखल किया एवं जो बेदखली की कार्यवाही चली उस आदेश/निर्णय व बेदखली पर्चा की प्रमाणित प्रति

रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल पटवार हल्का नंदराय की रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया जाना प्रतीत होता हैं। अपीलाण्ट ने अपील के समर्थन में निवेदन किया कि ग्राम नंदराय तहसील कोटडी की आराजी सं. 4983 से कब्जा छोड़ दिया हैं व अब कोई कब्जा नहीं हैं, न भविष्य में करेंगें। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के संबंध में तहसीलदार कोटडी स्वयं अतिक्रमणसुदा भूमि का मौका निरीक्षण कर यह सत्यापन करे कि अतिक्रमी भारत सिंह पिता प्रेमसिंह महाजन निवासी नन्दराय तहसील कोटडी द्वारा ग्राम नंदराय तहसील कोटडी की आराजी सं. 4983 रकबा 2.00 बीघा अतिक्रमणसुदा भूमि से मौके से कब्जा हटा लिया हैं या नहीं। यदि उक्त आराजी व क्षैत्रफल से अपीलार्थी /अतिकर्मी द्वारा मौके से अतिक्रमण हटा लिया जाना प्रमाणित होता है तो 03 माह के सिविल कारावास की सजा माफ की जाना न्योयोचित है और अधीनस्थ न्यायालय का अन्य आदेश यथावत रहने योग्य हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रकरण सं. 110/2018 को तहसीलदार कोटडी को रिमाण्ड किया जाना युक्तियुक्त होने से अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत आंशिक स्वीकार की जाती हैं। तहसीलदार कोटडी के प्रकरण सं. 110/2018 निर्णय दिनांक 19.07.2018 को अपास्त किया जाता हैं एवं प्रकरण रिमाण्ड कर तहसीलदार कोटडी को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रकरण सं. 110/2018 में अतिक्रमी भारत सिंह पिता प्रेमसिंह महाजन निवासी नन्दराय तहसील कोटडी द्वारा ग्राम नंदराय तहसील कोटडी की आराजी सं. 4983 रकबा 2.00 बीघा भूमि से मौके से कब्जा हटा लिया हैं या नहीं उसका सत्यापन स्वयं करें । यदि उक्त आराजी व क्षैत्रफल से अपीलार्थी /अतिकर्मी द्वारा मौके से अतिक्रमण हटा लिया जाना प्रमाणित होता है तो 03 माह के सिविल कारावास की सजा माफ की जाती हैं व अन्य आदेश यथावत रहेगें। यदि अतिक्रमण हटाया जाना प्रमाणित नहीं होता हैं तो अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण सं. 110/2018 में पारित निर्णय दिनांक 19.07.2018 यथावत रहेगें। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कोटडी को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)